

## मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15.03/2020

फा.क्र. 1762-ग/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 31.01.2019 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर में एक वर्ष के लिये नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं एवं उप शासकीय अधिवक्ताओं जिन्हें इस विभाग के किसी आदेश द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है, के कार्यकाल में 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक की अभिवृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15.03/2020

पृ. क्रमांक 1762-ग/21-ब(दो)

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. निज सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. निज सचिव, माननीय विधि मंत्रीजी, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
5. महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर,
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/टी.एम., मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर दो प्रतियों में,
7. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
8. महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर की ओर संबंधित विधि पदाधिकारी को वितरित किये जाने हेतु,
9. आई.टी. प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग